आरई–अज– 181
213

अज़मेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
'राजस्थान सरकार का उपक्रम'

क्रमांकः अविविनिलि/अ.अ. (योजना)/प्रे. 13043 दिनांक 25 MAR 2009

आदेश:– 678

विषयः– वर्ष 2009–10 में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ 12 (16) ऊर्जा/ 04 दि. 9.2.09 के द्वारा 1 अप्रैल 03 से 31 दिसम्बर 2007 तक के सामान्य कृषि श्रेणी विचाराधीन आवेदकों को वर्ष 2009–10 में मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त नये कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए पूर्व वर्ष की भाँति निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जाते हैः–

1. मांग पत्र जारी करना

(i) उपरोक्त में से 50 प्रतिशत आवेदकों के मांग पत्र 15 अप्रैल 2009 से 30 अप्रैल 2009 तक जारी किये जावेगें तथा शेष आवेदकों के मांग पत्र 15 जुलाई 2009 से 31 जुलाई 2009 तक जारी किये जावेंगे।

(ii) सभी श्रेणियों के लिये मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीय अखबारों,ग्राम पचांयत,पचांयत समीति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी दे दी जावे।

(iii) समस्त अनुसूचितजाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पचांयत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देय है, के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर जारी किये जायेगें।

2. प्राथमिकता

कृषि कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी, न कि मांग पत्र जमा की तारीख के अनुसार।

3. कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य

15 अप्रैल 2009 से 30 अप्रैल 2009 तक जारी किये गये मांग पत्रों के कुल आवेदकों की जमा राशि के 1/3 कनेक्शन अगस्त में 1/3 सितम्बर में तथा 1/3 अक्टूबर 09 में किये जायेंगे इसी प्रकार 15 जुलाई 09 से 31 जुलाई 09 तक जारी मांग पत्रों के कुल जमा राशि के 1/3 नवम्बर,1/3 दिसम्बर 09 एवं 1/3 जनवरी 2010 में कनेक्शन जारी किये जायेगें।

4. कनेक्शन के लिये सामान की ढुलाई

कृषि कनेक्शन के लिये जरुरी सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा किया जायेगा जिसके मांग पत्र में 1500 रु अतिरिक्त चार्ज किये जावेंगे। यदि आवेदक अपने खर्चे पर सारे सामान की ढुलाई का कार्य स्वयं करना चाहता हो तो उससे सामान की ढुलाई की राशि चार्ज नहीं की जायेगी।

5.लाईन एवं सब–स्टेशन लगाने के क्रम में

कृषि कनेक्शन हेतु 11 के.वी. लाईन तथा 11/0.4 के.वी. सब–स्टेशन लगाने का कार्य निगम द्वारा निर्धारित सी.एल.आर.सी रेट पर कराया जायेगा एवं यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि लाईन व सब–स्टेशन खडी करने में अच्छी गुणवता बनी रहे, समय पर सामान की ढुलाई का कार्य एवं कृषक को बिना असुविधा के कृषि कनेक्शन जारी हो।

(ई. बी.एम. गोयल)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम एवं अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. निदेशक (तकनीकी) अविविनिलि, अजमेर।
6. निदेशक (वित्त) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
8. मुख्य अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू।
9. मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
10. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. अधीक्षण अभियन्ता (   ), अ.वि.वि.नि.लि., ——————————।
12. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13. प्रावेधिक–सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
14. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ——————।
16. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
17. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
18. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के सूचनार्थ।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)